

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 13 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (1014)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/9666.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इंडिया कैन एजुकेशन प्रा. लि., 1211, पदमा टावर-1, 5, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 16, 42, 37, 500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,15,78,501 से 3,80,02,250 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,64,238 (रुपये एक लाख चौसठ हजार दो सौ अड़तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी
के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY**

ORDER

Delhi, the 13th January, 2010

No. F. 10(1014)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9666.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India Can Education Private Limited, 1211, Padma Tower-I, 5, Rajendra Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,64,238 (Rs. One Lac Sixty Four Thousand Two Hundred Thirty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 16,42,37,500 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 2,15,78,501 to 3,80,02,250 to be issued by the said company.

By Order
of Chief Controlling Revenue Authority
Government of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)